238

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

जसगुरप्रीत सिंह पुरी से पहले, जे.

वी. आई. एन. ओ. डी. याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य उत्तरदाता 2021 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8869

23 जनवरी, 2024

भारत का संविधान, 1950-कला। 226/227—ईडब्ल्यूएस श्रेणी और लोअर डिवीजनल क्लर्क (एलडीसी) के लिए सामान्य श्रेणी के परिणाम को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका, दोनों श्रेणियों के तहत पात्र होने और अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद सफल उम्मीदवारों में याचिकाकर्ता के रोल नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है। आजीविका और रोजगार का अधिकार-तकनीकीताओं से बाधित नहीं किया जा सकता है। जांच अधिकारी और याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित जांच का प्रारूप एकल दस्तावेज दिखाता है-याचिकाकर्ता को पात्र नहीं बताया गया क्योंकि उसने कट-ऑफ तिथि के बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का रुख-पुनः जांच पर-याचिकाकर्ता को पात्र नहीं पाया गया। न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेख-कोई दो दस्तावेज नहीं हैं। अगर फिर से जांच होती, तो बाद में एक अलग दस्तावेज होता। आयोग की कार्रवाई-याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने में विशुद्ध रूप से मनमाना और विकृत। याचिका की अनुमति दी गई। विवादित परिणाम ने याचिकाकर्ता को दरकिनार कर दिया। आयोग ने याचिकाकर्ता को योग्य उम्मीदवार घोषित करने और नियुक्ति के लिए उसका नाम संबंधित विभाग को भेजने का निर्देश दिया। वित्तीय लाभों को छोड़कर परिणामी लाभ दिए जाते हैं। अभिनिर्धारित किया गया कि यह एक ऐसा मामला है जहां आजीविका का अधिकार और रोजगार की मांग प्रभावित होती है और इसलिए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के निवेदन पर विचार करेगा कि क्या रोजगार की मांग करके आजीविका के ऐसे बहुमूल्य अधिकार को केवल उपरोक्त तकनीकीता के कारण बाधित किया जा सकता है जो विज्ञापन के खंड 3.2 में इस प्रकार कहा गया है या नहीं। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि क्या किसी भी जांच अधिकारी द्वारा कोई अलग सूचना दी गई है कि याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी-6 प्रस्तुत किया था न कि अनुलग्नक पी-5। आज रिकॉर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया गया एकमात्र दस्तावेज जांच का एक प्रारूप था, जिसमें पात्रता के कॉलम के खिलाफ 'पात्र नहीं' कहा गया है क्योंकि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कट-ऑफ तिथि के बाद दिया गया था। जांच अधिकारी के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित जांच के उपरोक्त प्रारूप से पता चलेगा कि यह एक ही दस्तावेज है, जिसमें वी. आई. एन. ओ. डी. बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

239

( जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे.)

याचिकाकर्ता को पात्र नहीं बताया गया है क्योंकि उसने कट-ऑफ तिथि के बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जबकि प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक रुख अपनाया गया है कि यह फिर से जांच पर था कि याचिकाकर्ता को पात्र नहीं पाया गया था, लेकिन आज अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, कोई दो दस्तावेज नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, यदि पुनः जाँच होती तो यह दिखाने के लिए एक अलग बाद का दस्तावेज़ होता कि पुनः जाँच पर, याचिकाकर्ता को पात्र नहीं पाया गया था। इसलिए द्वेष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक बार जब यह याचिकाकर्ता का एक स्पष्ट मामला है कि उसके पास पहले से ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी-5) था, जिसे प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्विवाद रूप से आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया गया है, तो अब याचिकाकर्ता को दस्तावेजों की पुनः जांच पर पात्र नहीं पाए जाने पर पात्र घोषित नहीं किया जा सकता था, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि आज इस अदालत को कोई अलग दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं दिखाया गया है, यह दिखाने के लिए कि दस्तावेजों की पुनः जांच की गई थी। इसलिए, प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्रवाई याचिकाकर्ता को पात्र घोषित करने में पूरी तरह से मनमाना और विकृत प्रकृति की थी। (पैरा 10) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता के विवादित परिणाम दिनांक 15.04.2021 (अनुलग्नक पी-7) को दरकिनार कर दिया गया है। इस न्यायालय द्वारा 23.04.2021 पर पारित अंतरिम आदेश को देखते हुए, ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत लोअर डिवीजनल क्लर्क (एल. डी. सी.) के पद के लिए एक सीट खाली रखी गई है और विद्वान राज्य वकील के अनुसार, वह आज भी खाली है। प्रत्यर्थी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को इसलिए निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को एक योग्य उम्मीदवार घोषित करे और याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को संबंधित विभाग यानी प्रत्यर्थी संख्या 3 को उसकी नियुक्ति के लिए भेजे। इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 3, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव (बिजली)-सह-अध्यक्ष, डी. एच. बी. वी. एन. एल. हैं, वर्तमान याचिकाकर्ता को ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत लोअर डिवीजनल क्लर्क (एल. डी. सी.) के पद पर नियुक्ति पत्र जारी करेंगे और याचिकाकर्ता को अन्य चयनित उम्मीदवारों की योग्यता सूची के आधार पर प्रासंगिक वरिष्ठता पर रखेंगे। हालाँकि, याचिकाकर्ता उस तारीख से किसी भी वेतन आदि के किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा जब अन्य उम्मीदवारों को लोअर डिवीजनल क्लर्क (एलडीसी) के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन वह निश्चित रूप से वित्तीय लाभों को छोड़कर सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा। उपरोक्त प्रक्रिया 240 तक पूरी हो जाएगी।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

आज से तीन महीने की अवधि के भीतर उत्तरदाता।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रजत मोर। कपिल बंसल, डीएजी, हरियाणा। प्रतिवादी No.3-DHBVNL के लिए निकिता गोयल, अधिवक्ता।

(1) वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है, जिसमें विशेष रूप से दिनांकित 15.04.2021 (अनुलग्नक पी-7) ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी यानी निम्न मंडल क्लर्क (एल. डी. सी.) के पद के लिए अनारक्षित श्रेणी यानी श्रेणी संख्या 4, विज्ञापन No.11/2019 के विवादित परिणाम को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट जारी करने की मांग की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता के रोल नंबर का उल्लेख सफल उम्मीदवारों के बीच इस तथ्य के बावजूद नहीं किया गया है कि वह विधिवत पात्र था और उसने पिछले से अधिक अंक प्राप्त किए थे। ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी के तहत चयनित उम्मीदवार और आगे प्रत्यर्थी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को लोअर डिवीजनल क्लर्क (एल. डी. सी.) के पद के लिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति की पेशकश करने का निर्देश देते हुए अनिवार्य रूप से एक रिट जारी करने के लिए। (2) वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा राज्य में विभिन्न पदों के चयन और भर्ती के लिए विज्ञापन No.11/2019 दिनांक 05.07.2019 (अनुलग्नक पी-1) जारी किया था। उपरोक्त विज्ञापन की श्रेणी संख्या 4 के तहत लोअर डिवीजनल क्लर्क (एल. डी. सी.) के 440 पदों को भरा जाना था। इसके बाद, उपरोक्त विज्ञापन में उपरोक्त पदों के लिए आरक्षण का एक विभाजन भी दिया गया था, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए कुल 14 पद आरक्षित किए गए थे। याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस की उपरोक्त श्रेणी के खिलाफ लोअर डिवीजनल क्लर्क के पद के लिए आवेदन किया। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड के माध्यम से थी और आवेदन पत्र के साथ आरक्षण से संबंधित दस्तावेजों सहित विभिन्न दस्तावेजों को संलग्न किया जाना था। याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी-2 के माध्यम से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत लोअर डिवीजनल क्लर्क के पद के लिए अपना आवेदन पत्र जमा किया और उसने नायब तहसीलदार, उचाना द्वारा जारी किए गए आवेदन पत्र के साथ दिनांकित ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी-5) संलग्न किया जो वर्ष के लिए वैध था।

उपरोक्त ई. डब्ल्यू. एस. विनॉड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

241

( जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे.)

प्रमाणपत्र (अनुलग्नक पी - 5) यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.07.2019 थी, जिसे बाद में 03.02.2020 तक बढ़ा दिया गया था। लिखित परीक्षा के बाद, उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया था जो याचिकाकर्ता के लिए 23.02.2021 पर आयोजित किया गया था। चूंकि लगभग 2 वर्षों का अंतराल था और उपरोक्त ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी-5) वर्ष 2019-2020 के लिए वैध था जैसा कि उपरोक्त प्रमाण पत्र में कहा गया है, इस बीच याचिकाकर्ता को एक और ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र मिला, जो पहले के ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र के समान था और बाद का ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र वर्ष 2020-2021 के लिए वैध था जिसे वर्तमान रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-6 के रूप में संलग्न किया गया है। ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाणपत्र (अनुलग्नक पी-5) जो याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था, दिनांकित 10.04.2019 है और दूसरा ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाणपत्र (अनुलग्नक पी-6) दिनांकित 01.10.2020 है। जारी करने की तारीख और वैधता वर्ष को छोड़कर उपरोक्त दो प्रमाणपत्रों के बीच कोई अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, दस्तावेजों की जांच के समय, याचिकाकर्ता दोनों प्रमाण पत्र अपने साथ ले गया था क्योंकि पहले का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी-5) वर्ष 2019-2020 के लिए था और बाद का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी-6) वर्ष 2020-2021 का था जो उसने प्राप्त किया था क्योंकि वह विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए लगातार आवेदन कर रहा था। हालांकि, दस्तावेजों की जांच के समय, प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने याचिकाकर्ता के ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया और परिणामस्वरूप उसे सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए 5 अंक नहीं दिए। याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में कुल 84 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए 5 अंकों का लाभ नहीं दिया गया था और इसलिए, उनकी उम्मीदवारी को प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया था कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी-5), जिसे याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया था, याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेजों की जांच के समय नहीं दिखाया गया था, जबकि दूसरा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी-6), जो बाद की तारीख का था, दस्तावेजों की जांच के समय दिखाया गया था। (3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भी कोई विवाद नहीं उठाया गया है कि जब याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत लोअर डिवीजनल क्लर्क के पद के लिए आवेदन किया था तो उसने 242 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया था

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दायर उत्तर के अनुसार भी यह कहा गया है कि दस्तावेजों की जांच के समय, याचिकाकर्ता को योग्य घोषित किया गया था, लेकिन दस्तावेजों की फिर से जांच के समय ही वह पात्र नहीं पाया गया था और इसलिए, प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विशुद्ध रूप से दुर्भावना थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा 23.04.2021 पर प्रस्ताव की सूचना जारी करते समय पारित अंतरिम आदेश के आधार पर, यह निर्देश दिया गया था कि ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) के पद के लिए एक सीट प्रतिवादियों द्वारा खाली रखी जाए और एक सीट प्रतिवादियों द्वारा खाली रखी गई है और इसलिए, याचिकाकर्ता को उपरोक्त पद के खिलाफ नियुक्त करने का निर्देश दिया जा सकता है। (5) दूसरी ओर, श्री कपिल बंसल, डी. ए. जी., हरियाणा ने कहा कि उपरोक्त विनॉड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में एक विशिष्ट खंड है।

243

( जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे.)

विज्ञापन अर्थात खंड 3.2, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि केवल उन दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा जो उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए हैं और दस्तावेज़ में कोई भी बदलाव उम्मीदवार की अयोग्यता का हकदार होगा और इसी कारण से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उसने अनुलग्नक पी-5 प्रस्तुत नहीं किया था, जबकि उसने केवल अनुलग्नक पी-6 प्रस्तुत किया था। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23.04.2021 का संबंध है, जिसके द्वारा ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत निचले मंडल क्लर्क के पद के लिए एक सीट खाली रखने का निर्देश दिया गया था, उनके पास यह बताने के निर्देश हैं कि उपरोक्त अंतरिम आदेश के अनुसरण में, ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत एक सीट खाली रखी गई थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने कुल 84 अंक प्राप्त किए थे और अंतिम चयनित उम्मीदवार ने 83 अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए कुल अंक 5 अंक थे और याचिकाकर्ता उपरोक्त 5 अंकों का हकदार नहीं था क्योंकि उसने दस्तावेजों की जांच के समय उपरोक्त दस्तावेज (अनुलग्नक पी-5) प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए उपरोक्त 5 अंक नहीं जोड़े जा सके। उन्होंने आगे कहा कि यदि इसे जोड़ा जाता है, तो याचिकाकर्ता के कुल अंक 89 अंक होंगे और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत अंतिम चयनित उम्मीदवार ने 83 अंक प्राप्त किए हैं, जो निर्विवाद है।

(6) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

(7) दिनांक 1 के आदेश के अनुसरण में, राज्य के विद्वान वकील द्वारा आज अदालत में एक सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है और इस अदालत द्वारा उसी पर विचार किया गया है। वर्तमान मामले में एक छोटा विवाद यह है कि याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत लोअर डिवीजनल क्लर्क (एलडीसी) के पद के लिए आवेदन किया था और उक्त श्रेणी के लिए कुल 14 पद आरक्षित थे। मान लीजिए, याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अनुलग्नक पी-5 के साथ उक्त पद के लिए आवेदन किया था, जो दिनांक 10.04.2019 है और उसके बाद, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और जांच की तारीख से लगभग 2 साल का अंतराल था। उपरोक्त प्रमाणपत्र (अनुलग्नक पी-5) वर्ष 2019-2020 के लिए वैध था और नायब तहसीलदार, उचाना द्वारा जारी किया गया है। दस्तावेजों की जांच के समय, याचिकाकर्ता के पास ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र भी था (अनुलग्नक पी - 6), जो वर्ष 2020-2021 के लिए वैध था। दोनों प्रमाण पत्रों के अवलोकन से पता चलेगा कि दोनों प्रमाण पत्र समान सामग्री हैं। दोनों प्रमाणपत्रों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि 10.04.2019 दिनांकित अनुलग्नक P-5 वर्ष 2019-2020 के लिए मान्य है, जबकि 01.10.2020 दिनांकित अनुलग्नक P-6 वर्ष 2020-2021 के लिए मान्य है।

244

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(8) उपरोक्त दो प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता के बारे में कोई विवाद नहीं है और न ही प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कोई विवाद उठाया गया है कि याचिकाकर्ता ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित नहीं है। प्रत्यर्थी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केवल यह आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक पी-5 अपलोड किया था, लेकिन दस्तावेजों की जांच के समय, उसने अनुलग्नक पी-6 दिखाया था, जबकि उसे जांच समिति को अनुलग्नक पी-5 दिखाना चाहिए था क्योंकि यह उपरोक्त विज्ञापन के खंड 3.2 के अनुसरण में एक अनिवार्य आवश्यकता थी। खंड 3.2 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

“ 3.2 दस्तावेजों की जांचः - केवल उन दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा जो उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए हैं। यदि जांच के समय अपलोड और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ में कोई भिन्नता है तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यदि कोई आवेदन आवश्यक सहायक दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक जानकारी अपलोड किए बिना पाया जाता है, तो उम्मीदवार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा और उचित या सही दस्तावेज/जानकारी की कमी के कारण उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ”

(9) उपरोक्त खंड 3.2 के अवलोकन से पता चलेगा कि यह इस तरह से प्रावधान किया गया है कि केवल उन दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा जो उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए हैं और यदि अपलोड किए गए और जांच के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ में कोई बदलाव है तो उम्मीदवारी रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगी। इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को केवल विज्ञापन के उपरोक्त खंड 3.2 के कारण खारिज या रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। उपरोक्त खंड के अर्थ और अवधि से पता चलेगा कि यदि दस्तावेज़ में कोई भिन्नता है तो ही उम्मीदवारी को अस्वीकार किया जाना चाहिए, जबकि अनुलग्नक पी-5 और अनुलग्नक पी-6 समान सामग्री में हैं और सामग्री के संबंध में, कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन दोनों दस्तावेज़ अलग-अलग तिथियों से संबंधित अलग-अलग दस्तावेज़ हैं क्योंकि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और दस्तावेजों की जांच के बीच लगभग 2 साल का अंतराल था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि दस्तावेज़ में कोई भिन्नता थी। अन्यथा भी, प्रत्यर्थी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दायर उत्तर के अवलोकन से पता चलता है कि जब याचिकाकर्ता जांच समिति के समक्ष दस्तावेजों की जांच के लिए खुद को प्रस्तुत करता है तो उसे पात्र घोषित किया जाता है लेकिन वी. आई. एन. ओ. डी. बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

245

( जसगुरप्रीत सिंह पुरी, जे.)

इसके बाद, पुनः जाँच की गई और पुनः जाँच के समय, उपरोक्त उत्तर के अनुसार, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी-5 प्रस्तुत नहीं किया था, जबकि उसने अनुलग्नक पी-6 प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अनुलग्नक पी-5, जिसे उन्होंने जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था, या तो प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो सकता है या दुर्भावनापूर्ण कारणों से हो सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। (10) यह एक ऐसा मामला है जहां आजीविका का अधिकार और रोजगार की मांग प्रभावित होती है और इसलिए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील के निवेदन पर विचार करेगा कि क्या रोजगार की मांग करके आजीविका के ऐसे बहुमूल्य अधिकार को केवल उपरोक्त तकनीकीता के कारण बाधित किया जा सकता है जो विज्ञापन के खंड 3.2 में इस तरह से कहा गया है या नहीं। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि क्या किसी भी जांच अधिकारी द्वारा कोई अलग सूचना दी गई है कि याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी-6 प्रस्तुत किया था न कि अनुलग्नक पी-5। आज रिकॉर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया गया एकमात्र दस्तावेज जांच का एक प्रारूप था, जिसमें पात्रता के कॉलम के खिलाफ 'पात्र नहीं' कहा गया है क्योंकि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कट-ऑफ तिथि के बाद दिया गया था। जांच अधिकारी के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित जांच के उपरोक्त प्रारूप से पता चलेगा कि यह एक ही दस्तावेज है, जिसमें याचिकाकर्ता को पात्र नहीं कहा गया है क्योंकि उसने कट-ऑफ तिथि के बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जबकि प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक रुख लिया गया है कि यह फिर से जांच पर था कि याचिकाकर्ता योग्य नहीं पाया गया था, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार जो आज अदालत में पेश किया गया है, कोई दो दस्तावेज नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, यदि पुनः जाँच होती तो यह दिखाने के लिए एक अलग बाद का दस्तावेज़ होता कि पुनः जाँच पर, याचिकाकर्ता को पात्र नहीं पाया गया था। इसलिए द्वेष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक बार जब यह याचिकाकर्ता का एक स्पष्ट मामला है कि उसके पास पहले से ही ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी-5) था, जिसे प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्विवाद रूप से आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया गया है, तो अब याचिकाकर्ता को दस्तावेजों की पुनः जांच पर पात्र नहीं पाए जाने पर पात्र घोषित नहीं किया जा सकता था, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि आज इस अदालत को कोई अलग दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं दिखाया गया है, यह दिखाने के लिए कि दस्तावेजों की पुनः जांच की गई थी। इसलिए, प्रतिवादी-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्रवाई पूरी तरह से मनमाना और 246 थी।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(12) मूल अभिलेख जो आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उसे राज्य के विद्वान वकील को वापस कर दिया जाता है। रिपोर्टर-सुब्रत कौर